न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय, खगड़िया।
जमानत आवेदन संख्या–578/2026
(मोरकाही थाना काण्ड संख्या 71/2026)
सुनील ताँती एवं दो अन्य – बनाम– बिहार सरकार

उपस्थित : संजय सिंह,
अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय, खगड़िया।

22.06.2026 **आदेश**

1. आवेदक/अभियुक्तगण **1. सुनील ताँती, 2. नितीश ताँती एवं 3. माला देवी** जो मोरकाही थाना काण्ड संख्या 71/2026, धारा 126(2),115(2),117(2),76,109,303(2),352,351(2),351(3),3(5) बी0एन0एस0 के अंतर्गत दिनांक 23.04.2026 से कारा अभिरक्षा में है कि ओर से दाखिल जमानत आवेदन पर उनके विद्वान अधिवक्ता श्री अमित कुमार एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री नरेश दास को सुना गया है। काण्ड दैनिकी की सत्यापित प्रति प्राप्त है।

2. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से कथन किया गया है कि आवेदकगण कोई अन्य जमानत आवेदन किसी भी न्यायालय में दाखिल नहीं किया है। आवेदकगण का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदकगण दिनांक 23.04.2026 से कारा अभिरक्षा में हैं। आवेदकगण निर्दोष हैं तथा कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक सं01 बाबुलाल ताँती के भाई के द्वारा भी सूचक वगैरह के विरूद्ध मोरकाही थाना काण्ड संख्या 72/26 दर्ज कराया गया है। अभियोजन की सम्पूर्ण कहानी झूठी एवं बिना आधार का है। उभय पक्ष आपस में गोतिया हैं तथा जमीन का विवाद है। यह वाद सिर्फ आवेदकगण को परेशान करने के लिये लाया गया है। धारा 76,109,303(2) बी0एन0एस0 का आरोप सिर्फ वाद को गम्भीर बनाने के लिये लाया गया है। प्राथमिकी से आवेदकगण के विरूद्ध कोई आरोप नहीं बनता है। उक्त तथ्यों के आलोक में आवेदकगण के जमानत आवेदन को स्वीकृत करने का निवेदन किया गया है।

3. विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा जमानत का विरोध किया गया है।

4. अभिलेख एवं काण्ड दैनिकी का अवलोकन किया। अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि सूचक के पड़ोसी राजन देवी एवं लालू ताँतीस अवैध शराब की बिक्री करता है जिसके कारण उसके दरवाजे पर शराबियों का जमावड़ा लगा रहता है और गंदगी फैलाकर गाली–गलौज करता है। दिनांक 21.04.26 को लगभग 08.00 बजे शाम में लालू ताँती शराब पीकर नशे में उसके दरवाजे पर शराब में उपयोग किया हुआ गंदा पानी और अन्य चीजों को फेक राह था तो पुत्री रौयान कुमारी एवं चाँदनी कुमारी ने मना किया तो उसने अभद्र व्यवहार करते हुये बोला कि अभी तो गंदगी फैला रहा हूँ ज्यादा बोलेगी तो घर से खींच कर तुम्हारे साथ कुछ भी कर लूँगा ओर ऐसा कहते हुये वह उसकी बेटियों

न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय, खगड़िया।
जमानत आवेदन संख्या–578/2026
(मोरकाही थाना काण्ड संख्या 71/2026)
सुनील ताँती एवं दो अन्य – बनाम– बिहार सरकार
उपस्थित : संजय सिंह,
अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय, खगड़िया।

<u>लगातार,पेज–2</u>
22.06.2026

को सरेआम छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया, जब सूचक बचाने गया तो वहऔर आक्रोशित हो गया, उसी समय 2.रामदेव ताँवी पिता सुन्दर ताँती, 3. पुलेन्द्र ताँती, 4.प्रमोद ताँती, 5.बौएलाल ताँती तीनो पे0 रामदेव ताँती, 6.सुनील ताँती,7.अनिल ताँती दोनों पिता पुलेन्द्र ताँती, 8.नितीश ताँती पिता जप्पू ताँती, 9.सचिन ताँती, 10.जप्पू ताँती,11.राणा ताँती तीनों पे0 बौनु ताँती, 12.माला देवी पति पुलेन्द्र ताँती, 13.जयमाला देवी पति प्रमोद ताँती,14.गाढ़ चौधरी पिता सहिन्द्र चौधरी, 15.राजन देवी पति लालू ताँती, 16. मीनादेवी पति बौएलाल तांती ने लाठी–डंडा एवं लोहे के रड से लैस होकर आया और उसके साथ मारपीट करने लगा। जब उसे बचाने परिजन बिनोद ताँती, सीतादेवी, नीलम देवी, रामरती देवी, हंसराज कुमार, गुड़िया कुमारी, विशाल कुमार, सिफम देवी एवं घर के अन्य लोग आये तो उन सभी को भी बेरहमी से मारपीट कर जख्मी कर दिया। मारपीट के क्रम में प्रमोद ताँती एवं बौएलाल ताँती ने बिनोद ताँती को जमीन पर पट्ककर एवं छाती पर चढ़कर उनका गलफड़ चीर दिया और उनके पास रखे 20,000/–रूपये जबरन छीन लिया। हल्ला पर आस–पास के लोग आये जो जान बचाये, जिसके बाद सभी जख्मी सदर अस्पताल खगड़िया में ईलाज कराये।

5. अवलोकन से विदित है कि आवेदकगण के विरूद्ध अन्य सह–अभियुक्तों के साथ मिलकर शराब पिलाने एवं गंदगी फैलाने का विरोध करने पर सूचक एवं उसे बचाने आये उसके परिजन को लाठी, डंडा एवं लोहे के रड से मारपीट कर जख्मी कर देने एवं बिनोद ताँती के छाती पर चढ़कर उसका गलफड़ चीर देने तथा बीस हजार रूपया जबरन छीने लेने का आरोप है। काण्ड दैनिकी के कंडिका 3 एवं 4 में गवाहों ने शराब पीकर गंदगी फैलाने का विरोध किये जाने को लेकर मारपीट करना बताया है। कंडिका 41 में जख्मी चाँदनी कुमारी, जख्मी नीलम देवी, जमखी जीतू कुमार, जख्मी विनोद ताँती, जख्मी विकाश कुमार, जख्मी हंशराज कुमार, जख्मी रोशनी कुमारी, जख्मी रेणू देवी, जख्मी संजय ताँती, जख्मी बिपीन ताँती, जख्मी विशाल कुमार, जख्मी रामरती देवी एवं जख्मी सीता देवी का जख्म प्रतिवेदन अंकित है, जिसमें जख्मी रामरती देवी के जख्म को गम्भीर प्रकृति का तथा अन्य जख्मियों के जख्म को साधारण होना बताया गया है। काण्ड दैनिकी में आवेदकगण का कोई अपराधिक इतिहास अंकित नहीं है। उभय पक्षों के बीच वाद एवं पलटा वाद दर्ज है। आवेदकगण

न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय, खगड़िया।
जमानत आवेदन संख्या–578/2026
(मोरकाही थाना काण्ड संख्या 71/2026)
सुनील ताँती एवं दो अन्य – बनाम– बिहार सरकार

उपस्थित : संजय सिंह,
अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय, खगड़िया।

<u>लगातार,पेज–3</u>
22.06.2026

दिनांक 23.04.2026 से कारा अभिरक्षा में हैं।

6. अतः उपरोक्त विवेचित तथ्यों, परिस्थितियों एवं आवेदकगण के कारा अवधि को देखते हुये उनके इस जमानत आवेदन को **स्वीकृत** किया जाता है तथा मो0 10,000/–(दस हजार) रूपये के दो–दो जमानतदार द्वारा बंधपत्र दाखिल करने एवं विद्वान संबंधित न्यायालय के संतुष्टि पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है। एक–एक जमानतदार आवेदकगण का निकट रिश्तेदार होगा तथा 2. आवेदकगण अन्डरटेकिंग दाखिल करेगा कि वे भविष्य में पुनः ऐसी घटना नहीं करेगा और न ही साक्ष्य को प्रभावित करेगा तथा विचारण में सहयोग करेगा ।

(लेखापित एवं शुद्धित)
22-6-26
अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय,
खगड़िया।

Date of Judgment/Order	22-06-2026
Date of Reserving judgment/Order	——
Uploading Date	24.06.26
Uploaded by	Nimesh Kumar (DEO)